

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार के प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।

1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा।

1.4 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बदलते परिदृश्य में बैंक के सामने अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा हुई हैं और आपके बैंक ने मार्च, 2020 से स्थिति का सामना करने में चरित्र, परिपक्वता और लचीलापन दिखाया है एवं भविष्य में भी इसको जारी रखेगा।

1.5 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियाँ सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा:

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियाँ
- अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि।

1.6 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का अनुपालन करता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र कार्य अनुश्रवण सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, चलनिधि जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं।

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियाँ बनाई हैं और निदेशक मंडल की समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं।

2.4 31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) तथा चार कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त सात गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

- 2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पद रिक्त थे. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद यथा 31 मार्च, 2023 को रिक्त थे.
- 2.6 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2023 निम्नानुसार है:

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
1	श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र)	07-11-2022	आरएमसी एससीएमएफ एनआरसी बीसीपीई	शून्य	2	2	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 07.11.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
2	सुश्री ए. मणिमेखले, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक)	03-06-2022	एमसीबी एसआरसी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ डीपीपीसी एसटीसीबी एचआरएससी सीएसी-1 आरईएमसी सीडीआरसीएफ आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी	शून्य	3	2	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 03.06.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन
3	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	10-03-2021	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	6725	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 10.03.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन
4	श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) (28.04.2023 तक)	21-10-2021	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	शून्य	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 21.10.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
5	श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-02-2022	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	शून्य	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 01.02.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं विपणन
6	श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	21-11-2022	एमसीबी एसआरसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससी सीएसी-1 सीडीआरसीएफ	शून्य	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 21.11.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त.
7	श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	08-11-2021	एसीबी एसआरसी आईटीएससी एससीएमएफ डीपीपीसी आरईएमसी एचआरएससी बीसीपीई	शून्य	2	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त
8	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	26-04-2019	एमसीबी एसीबी डीपीपीसी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी
9	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र)	21-12-2021	एसीबी एसआरसी आरएमसी एससीएमएफ एसटीसीबी एनआरसी आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी	शून्य	2	1	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.12.2021 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : लेखा, कराधान एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
10	श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र)	21-03-2022	एमसीबी एसआरसी आरएमसी एससीएमएफ एसटीसीबी एनआरसी आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.03.2022 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : ज्ञानार्जन एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर
11	डॉ. जयदेव मद्दुगुला, शेरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	एसीबी आरएमसी आईटीएससी बीसीपीई एचआरएससी	200	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक निर्वाचित और दिनांक 28.06.2021 से आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु शेरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन
12	सुश्री प्रीति जय राव, शेरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	29-07-2021	एसीबी एसआरसी आईटीएससी एससीएमएफ एचआरएससी	1000	3	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 29.07.2021 से 28.07.2024 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु शेरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित. विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर

\$ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

एसीबी	-	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
बीसीपीई	-	बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति
सीएसी - I	-	साख अनुमोदन समिति- I
सीडीआरसीएफ	-	पूँजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एससीएमएफ	-	₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
एसआरसी	-	हितधारकों की संबंध समिति
डीपीपीसी	-	अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति
एसटीसीबी	-	बोर्ड की शेर अंतरण समिति
एचआरएससी	-	बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
आईटीएससी	-	बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एनआरसी	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी	-	बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
आरईएमसी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति

2.7 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार:-

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1.	श्री श्रीनिवासन वरदराजन	58	07.11.2022	दिनांक 06.11.2025 तक या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो.	बैंकिंग एवं वित्त	<p>श्री श्रीनिवासन वरदराजन के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वर्ष 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आपने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं. वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्म, एक सॉवरेन वेल्थ फंड, एक बड़े कॉर्पोरेट समूह, एक एनबीएफसी समूह और एक निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं. श्री श्रीनिवासन वरदराजन जेपी मॉर्गन, भारत के प्रबंध निदेशक और बाजार प्रमुख रहे हैं. आप भारत में जेपी मॉर्गन चैस बैंक के सीईओ भी रहे हैं.</p> <p>आपने भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न समितियों में कार्य किया, जिसमें तकनीकी सलाहकार समिति, रेपो समिति और पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों के अलग कारोबार के लिए समिति (स्ट्रिप्स) शामिल हैं. आप फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीआई) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आप इंडो- यू. के. फाइनेंशियल पार्टनरशिप फोरम के सदस्य भी रहे हैं.</p> <p>आपने इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नै से इंजीनियरिंग की डिग्री एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है.</p>
2	सुश्री ए. मणिमेखलै	57	03.06.2022	दिनांक 02.06.2025 तक या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो.	बैंकिंग एवं विपणन	<p>सुश्री ए. मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं. आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया. आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली रणनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.</p> <p>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए मणिमेखलै केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने रणनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया. आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपको पांच अन्य कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव है, इनमें कैनेबैंक फेवटर्स लिमिटेड, कैनेबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं. आप केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं.</p> <p>भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में आपने नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भविष्य के रोड मैप को तैयार करना, वित्तीय समावेशन, कृषि मूल्य-श्रृंखला वित्तपोषण, बैंकिंग संवाददाता मुद्दे और हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह के लिए तालमेल बनाना शामिल है.</p>

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
3	श्री रामसुब्रमणियन एस.	55	21.11.2022	दिनांक 20.11.2025 तक या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो.	बैंकिंग एवं वित्त	<p>सुश्री मणिमेखलै ने बेंगलूर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है. आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं</p> <p>श्री रामसुब्रमणियन एस. ने दिनांक 21 नवंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पहले, आप केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई/खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप विज्ञान में स्नातक हैं और सीएआईआईबी अर्हता प्राप्त हैं.</p> <p>अपने पूरे बैंकिंग कैरियर के दौरान, आपने प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, बड़े कॉर्पोरेट, मध्य कॉर्पोरेट शाखाओं और केनरा बैंक की हॉगकांग शाखा और प्रधान कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों और अलग-अलग श्रेणी की शाखाओं में भी कार्य किया है.</p> <p>आप शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारी हैं, जिन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्ववर्ती बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भाग लिया है. आप आईबीए की कॉर्पोरेट ऋण की स्थायी समिति के भी सदस्य हैं. आपको कोविड पुनर्चना पर कामत समिति में भी नामित किया गया है. आप परिचालन एवं प्रशासन में समान रूप से दक्ष हैं.</p>

कार्यकाल समापन: निम्नलिखित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण हुआ:

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1	श्री राजकिरण रे जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	31.05.2022	कार्यकाल पूर्ण होने पर
2	श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक	30.04.2022	कार्यकाल पूर्ण होने पर

2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है.

2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनिमयन, 2015 के विनिमयन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/ अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2023 का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1.	श्री श्रीनिवासन वरदराजन, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक	1. इंडिया डेट रेसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड	एसीबी	अध्यक्ष
		2. इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अड्वाइसरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड	एसीबी	अध्यक्ष
2.	सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1. जनरल इन्श्युरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	एसीबी	अध्यक्ष
		2. जनरल इन्श्युरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	एसआरसी	अध्यक्ष
		3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
3.	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
4.	श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक	2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	एसीबी	सदस्य
5.	श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
6.	श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
7.	श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक	2. यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	एसीबी	सदस्य
8.	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
9.	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	अध्यक्ष
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
10.	श्री लक्ष्मण एस. उप्पर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
11.	डॉ. जयदेव मद्दुगुला, शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
12.	सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक	1. मस्टेक लिमिटेड	एसीबी	सदस्य
		2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	अध्यक्ष
		3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य

2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय)

कार्यक्रमों का ब्यौरा: निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

<http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx>

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशारत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करते हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

3 वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक **गुरुवार, दिनांक 30 जून, 2022** को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

नाम	पदनाम
सुश्री ए. मणिमेखलै	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक
श्री रजनीश कर्नाटक	कार्यपालक निदेशक

श्री निधु सक्सेना	कार्यपालक निदेशक
श्री समीर शुक्ला	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सूरज श्रीवास्तव	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री लक्ष्मण एस. उप्पर	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
डॉ. जयदेव मदुगुला	शेयरधारक निदेशक
सुश्री प्रीति जय राव	शेयरधारक निदेशक

4 निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष 2022-23 के दौरान 17 बार यथा 26.04.2022, 13.05.2022, 26.05.2022, 28.06.2022, 08.07.2022, 26.07.2022, 10.08.2022, 29.09.2022, 20.10.2022, 01.11.2022, 11.11.2022, 29.11.2022, 21.12.2022, 20.01.2023, 14.02.2023* और 23.03.2023 को निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की गईं.

* दिनांक 14.02.2023 को निदेशक मंडल की दो बैठकें आयोजित की गईं.

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
7. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)*
8. आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
 10. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)
 11. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
 12. बैंक के गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं एवं जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डबल्यूडी)
 13. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
 14. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
 15. बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)
- #### 5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन किया जा सकता है और छह माह की अवधि हेतु दो बार के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है.

सुश्री ए. मणिमखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूंजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

वर्ष 2022-23 के दौरान एमसीबी की 23 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं -

- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक।

इस बैठक में कार्यपालक निदेशकों को आमंत्रित किया गया।

श्री सूरज श्रीवास्तव, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा।

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी

शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-

- अंतर-शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो।
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
 - धोखाधड़ी
 - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र।
3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है।
 4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। बैंक के छमाही/वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है।
 5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है।
 6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची-II के भाग-सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 11 बैठकें हुईं। ये बैठकें दिनांक 13.05.2022, 27.06.2022, 26.07.2022, 08.08.2022, 14.09.2022, 20.10.2022, 18.11.2022, 13.01.2023, 20.01.2023, 01.03.2023 और 17.03.2023 को आयोजित हुईं।

5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है। सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा। कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर एंड एएलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है।

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- तीन गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक.

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

वित्त मंत्रालय, सरकार भारत के पत्र सं एफ.सं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019, के अनुसार जोखिम के प्रबंधन, माप और नियंत्रण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण के तहत एक जोखिम धारणीय तंत्र युक्त संस्था की परिकल्पना की गई, जिसमें शामिल हैं - i बैंक के लिए एक जोखिम धारणीय विवरण और बैंक के लिए जोखिम सीमाएं; ii. भौतिक और प्रतिष्ठा संबंधी दोनों जोखिमों के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, नियंत्रण और प्रणालियां iii. कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निरूपण।

आगे यह परिकल्पना की गई थी कि जोखिम प्रबंधन समिति को समय-समय पर बैंक के जोखिम धारणीयता ढांचे के पालन की समीक्षा करने और स्वीकृत जोखिम धारणीयता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करने का अधिकार दिया जा सकता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं।

5.4 रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है। एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे। यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी।

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या

भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.

- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं.

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी) :

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयीं हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं.

5.6 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.6.1 संघटन :

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं.

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.6.2 कार्य:

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.

- समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
- सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
- उत्तराधिकार की योजना

2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास

- प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
- सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना

3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना

- पुरस्कार व प्रोत्साहन
- पदोन्नति
- तैनाती

4. प्रशिक्षण

- विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
- सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनश्चर्या

5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयीं.

5.7 बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)

5.7.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.7.2 कार्य :

हितधारक संबंधी:

1. बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्रप्ति, घोषित लाभांशों की अप्रप्ति, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना.
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
4. बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना.

ग्राहक सेवा संबंधी:

1. बैंक में समग्र ग्राहक शिकायत निवारण के कार्यों की निगरानी करना
2. ग्राहक सेवाओं की निगरानी करना और बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना
3. ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के हित में नीतियां बनाना और उनकी समीक्षा करना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित:

1. बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा करना
2. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों / परियोजनाओं का समय-समय पर अनुमोदन और समीक्षा करना

ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक और गवर्नेंस) संबंधित:

1. ईएसजी से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखना.
2. ईएसजी से संबंधित सभी मामलों और गतिविधियों पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करना;
3. ईएसजी से संबंधित पहलों और नीतियों के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी करना;
4. विभिन्न ईएसजी पहलों के प्रभाव का आकलन करना;
5. आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए ईएसजी मामलों के खुलासे की समीक्षा करना;
6. ईएसजी से संबंधित उभरते जोखिमों की पहचान करना और बोर्ड तथा बैंक की समितियों को इसकी सिफारिश करना

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं.

5.7.3. अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री एस. के. दास को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

5.7.4. वर्ष 2022-23 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण:

31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

	विवरण	31.03.23 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.22 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	14	8
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	14	8
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

5.8 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)**5.8.1 संघटन**

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- एमडी एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामिती निदेशक

- दो गैर-कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- दो बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक)

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

5.8.2 कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.

- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

5.9 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात् नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थी. वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है.

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है.

5.9.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश क्र. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है. कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है. समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित दो गैर-कार्यपालक निदेशक

5.9.2 कार्य :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन हेतु "योग्य एवं उपयुक्त" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की दिनांक 15.03.2023 को एक बार बैठक आयोजित की गयी.

5.10 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीपीसी-V) थीं.

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समामेलित करने का निर्णय लिया।

5.10.1. संघटन :

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रूप में मंजूरी दी है

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है।

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.10.2. कार्य :

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना
- टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना।
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है।
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर करना
- महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.11 बोर्ड की शेर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.11.1. संघटन :

समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
 - दो गैर कार्यपालक निदेशक
- सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.11.2. कार्य :

बैंक ने शेरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिक रूप में (डीमैटरियलाइज़्ड मोड में) शेर जारी करेंगी:

- ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
- बी. दावारहित उचत खाते से दावा
- सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान
- डी. पृष्ठांकन
- ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- जी. संचारण
- एच. परिवहन

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी की बैठक 4 बार आयोजित की गई तथा परिचालन के जरिए 20 संकल्प पारित किए गए थे।

5.12. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थी अर्थात "गैर-सहकारी" उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की संभावना की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सके.

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

सुश्री ए. मणिमखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.12.1. कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.
- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी.

5.13 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

5.13.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

सुश्री ए. मणिमखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.13.2 कार्य :

निदेशक मंडल / शेयरधारकों जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार हैं. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्वधीन है.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी.

5.14 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

5.14.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक एफ.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाए.

दिनांक 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओए. फ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाए

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एवं
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवारत शेरधारक निदेशक.

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे.

5.14.2 कार्य:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गयी.

5.15 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

5.15.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण-अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है. समिति ₹ 800 करोड़ तक के किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के लिए ₹600

करोड़ तक तथा समूह एक्सपोजर के लिए ₹800 करोड़ और यदि एक्सपोजर इन सीमाओं से अधिक होता है तो उस पर बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

सुश्री ए. मणिमेखलै, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.15.2 कार्य :

अग्रिम से संबंधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/ बड़े खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-1 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की 32 बैठकें आयोजित की गयी.

5.16 निदेशकों के विवरण, बोर्ड में इनकी उपस्थिति और वर्ष के दौरान अन्य समिति बैठकों के विवरण इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंत में संलग्न है

6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेरधारकों की सामान्य बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	04 अगस्त, 2020 प्रातः 11.00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	समंजन की दिनांक को बैंक के शेर प्रीमियम खाते में जमा शेष को 31 मार्च, 2020 को बैंक की संचयी हानि ₹32758,49,47,263.10 (रुपए बत्तीस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार दो सौ तिरैसठ वं दस पैसे मात्र) में समंजित करने हेतु तथा इसको वर्तमान वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान खाते में लेने के लिए

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
असाधारण सामान्य बैठक	30 दिसंबर, 2020 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,800 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक (रद्द)	25 जून, 2021 प्रातः 11.00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव ही एकमात्र एजेंडा था और बैंक को केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हुआ था और इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 यथा संशोधित, के विनियम 66 के अनुसार बैठक को रद्द कर दिया गया था.
उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक	10 अगस्त, 2021 प्रातः 11 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्ट्स या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹3,500 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
बीसवीं वार्षिक साधारण बैठक	30 जून, 2022 प्रातः 11 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक की पूंजी जुटाना, जिसकी राशि 8100 करोड़ रुपये से अधिक न हो.

7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

यह बताया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है.

उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

बैठक शुल्क (फीस) :

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) की शर्तों (ई), (एफ), (जी), (एच) व (आई) के अनुसार नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ संख्या 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 30 अगस्त, 2019, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक योजना की शर्त 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क सहित प्रति निदेशक कुल अधिकतम सीमा ₹25 लाख के साथ नीचे दिए गए तरीके से बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे.

बोर्ड के निदेशकों ने 29 जुलाई, 2020 की अपनी बैठक द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 1 अप्रैल, 2021 से ₹70,000 बैठक शुल्क एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु ₹35,000 के भुगतान को अनुमति प्रदान की है. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹20,000 एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों हेतु ₹10,000 के अतिरिक्त शुल्क की स्वीकृति दी गई है.

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट में <http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx> लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है

यात्रा एवं विराम भत्ता :

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो।

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/फ़र्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है।

7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :

बैंक के गैर कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने ₹ 2200 करोड़ के बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड जारी किए एवं ₹1983 करोड़ के बासेल III अनुपालित एटी 1 बांड जारी किए। आरबीआई और बैंक की विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए उक्त प्राप्त राशि का उपयोग आरबीआई के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर 1 और टियर 2 पूंजी को बढ़ाने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया था।

7.5 दंड या आक्षेप :

विगत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/>

[english/aboutus-policiescodes.aspx](https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx).

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है।

7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2) (एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है।

7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति :

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरूपित की गयी है। इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ।

7.9 लाभांश वितरण नीति :

बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है। इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

7.10 अधिग्रहण कूट:

बैंक ने समय-समय पर सेबी के यथा संशोधित 2011 प्रावधानों (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) का अनुपालन किया है।

7.11 सेबी विनियमन 2015 का अनुपालन (आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकना):

विनियमों के अनुसार बैंक ने नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों को बैंक के शेयर में लेनदेन करने में आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को

रोकने के लिए एक संहिता को तैयार किया है। इन विनियमों के लिए आवश्यक कई प्रपत्रों को तैयार किया गया है जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विवरणों के साथ बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है:

ट्रेडिंग विंडो बंद होने की तिथि	बंद होने का कारण
31 मार्च, 2022 से 15 मई, 2022	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
30 जून, 2022 से 28 जुलाई, 2022	30 जून, 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
01 अक्तूबर, 2022 से 22 अक्तूबर, 2022	30 सितंबर, 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.
01 जनवरी, 2023 से 22 जनवरी, 2023	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा.

7.12 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7.17 शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2023 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8577 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई डीआईएफसी) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है। इनमें से 58 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं.

यथा 31.03.2023 तक शाखा का नेटवर्क						
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	2545	2458	1755	1819	3	8580
शाखा (%)	30	29	20	21	--	100

7.13 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया.

7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :

बैंक ने सूचियन विनियम के उप-विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया है

7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का व्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल ₹ 74.49 करोड़ का भुगतान किया गया है

7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

- ए. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 17 (सत्रह)
- बी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या : 16 (सोलह)
- सी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 1 (एक)



7.18 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्निक्षण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गयी है:

रेटिंग एजेंसी	बासेल III		जमा प्रमाणपत्र	आउटलुक
	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2		
ब्रिकवर्क	BWR AA	BWR AA+	-	स्थायी
क्रिसिल	CRISIL AA	CRISIL AA+	-	स्थायी
केयर	CARE AA	CARE AA+	-	सकारात्मक
इंडिया रेटिंग	IND AA	IND AA+	IND A1+	स्थायी
इकरा लिमिटेड	-	ICRA AA+	ICRA A1+	स्थायी

एफआईटीसीएच – दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 की रेटिंग रिपोर्ट:

संवर्ग	रेटिंग
दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	"BBB-" आउटलुक नकारात्मक
अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	F3
व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर)	b

दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के अपने रेटिंग औचित्य के तहत, फिच रेटिंग्स ने एशिया-पेसेफिक क्षेत्र (एपीएसी) में बैंकों को पूर्व-सरकारी समर्थन 'एक्सजीएस' रेटिंग प्रदान की है। पूर्व-सरकारी समर्थन रेटिंग, जहां एक 'xgs' को बैंकों को दी गई मौजूदा रेटिंग में जोड़ा जाता है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नीति वाले बैंकों के रूप में रेट नहीं किया गया है और जिनकी दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (IDRs) सरकारी समर्थन की धारणाओं को शामिल करती हैं।

बैंक के पूर्व सरकारी समर्थन रेटिंग मानदंडों के अनुरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसकी मौजूदा व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर) के स्तर पर एक दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा आईडीआर (एक्सजीएस) प्रदान की गई है।

स्टैंडर्ड & पूर-रेटिंग दिनांक 31 जनवरी, 2023

संवर्ग	रेटिंग
जारीकर्ता ऋण रेटिंग (दीर्घ अवधि/ अल्प अवधि)	BB+/Stable/B
स्टैंडअलोन ऋण प्रोफाइल (एसएसीपी)	bb-
बैंक सीनियर असेक्युर्ड नोट्स (दीर्घ अवधि)	BB+

आउटलुक: स्टेबल

7.19 बैंक की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण: बैंक की कोई भी सहायक कंपनी महत्वपूर्ण सहायक नहीं है।

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हैं।

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 वित्त वर्ष – 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023

9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता – बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है: -

नाम	कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई), फिरोज़ जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/ 1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	UNIONBANK-EQ

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क दिनांक 21 अप्रैल, 2023 से पहले दोनों शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं टियर II पूंजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय-बॉण्ड जारी किए हैं। 31 मार्च, 2023 को तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईएसआईएन	बॉण्ड व्यौरा	शृंखला	राशि (रैंकरोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
1	आईएनई 692A08029	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XX	1,000	15.09.2016	स्थायी	9.50
2	आईएनई 692A08110	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXVII	500	15.12.2020	स्थायी	8.73
3	आईएनई 692A08128	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXVIII	1,000	11.01.2021	स्थायी	8.64
4	आईएनई 692A08136	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXIX	205	29.01.2021	स्थायी	8.73
5	आईएनई 692A08169	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXXII	2,000	22.11.2021	स्थायी	8.70
6	आईएनई 692A08177	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXXIII	1500	20.12.2021	स्थायी	8.40
7	आईएनई 692A08185	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXXIV	1500	02.03.2022	स्थायी	8.50
8	आईएनई 692A08193	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXXV	1,320	25.07.2022	स्थायी	8.69
9	आईएनई 692A08227	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरिज़ XXXVII	663	23.12.2022	स्थायी	8.40
10	आईएनई 692A09266	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XVII-ए	2,000	22.11.2013	22.11.2023	9.80
11	आईएनई 692A08045	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXII	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74
12	आईएनई 112A08051	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ II	1,000	08.11.2019	08.11.2029	8.93
13	आईएनई 692A08094	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXV	1,000	16.09.2020	16.09.2030	7.42
14	आईएनई 692A08102	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXVI	1,000	26.11.2020	26.11.2035	7.18
15	आईएनई 692A08144	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXX	850	24.06.2021	24.06.2031	7.19
16	आईएनई 692A08151	बासेल III अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXXI	1,150	09.07.2021	09.07.2036	7.25
17	आईएनई 692A08219	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXXVI-ए	1,500	29.11.2022	29.11.2037	7.85
18	आईएनई 692A08201	बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर II	बॉण्ड सिरिज़ XXXVI-बी	700	29.11.2022	29.11.2032	7.80
		कुल		19,638.00			

9.3 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 3/- के लाभांश की सिफारिश की है।

9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	शनिवार, 06 मई, 2023
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य आडिओ विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर
बहियों के बंद रहने की तिथि	शनिवार, 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 (दोनों दिन शामिल)
ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से गुरुवार, 3 अगस्त, 2023 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)

9.5 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 अगस्त, 2023 तक
30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 नवम्बर, 2023 तक
31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 फरवरी, 2024 तक
31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	15 मई, 2024 तक

9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी कि प्रेस विज्ञापित दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

- ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
- बी. दावारहित उचंत खाते से दावा
- सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान
- डी. पृष्ठांकन
- ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- जी. संचारण

एच. परिवहन

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर -4 जमा करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, आपत्तियों को दूर कर, यदि कोई हो, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके तहत शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज्ड करने के लिए निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने की जानकारी देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/ प्रमाण पत्र के पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" पर मुहर लगाएगा।

निक्षेपागार सहभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के उचंत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा **केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड** को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) केएफआईएन टेक्नालजी लिमिटेड यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं 31-32, गच्चीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032 फोन नं.: 040- 67162222 फैक्स नं.: 040- 23001153 ई-मेल : einward.ris@kfintech.com</p>	<p>डिबेंचर ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई 400 001. फोन (022) 40807001 फैक्स (022) 66311776 ईमेल : itsl@idbitrustee.com , response@ idbitrustee.com</p>	<p>कंपनी सचिव निवेशक सेवाएं प्रभाग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन -(022) 2289 6636 फैक्स -(022) 22025238 ई-मेल: investorservices@ unionbankofindia.bank</p>
--	---	---

9.7 अन्य सूचनाएं :

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत है।

9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक ने दोनों डिजिटल रियल्टी यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिजिटल रियल्टी लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिजिटल रियल्टी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, आईएनई692A01016 है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उन्हें तुरंत चलनिधि (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है। इससे लाभश्रु भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा।

31.03.2023 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	82,760	1,56,69,245	0.23
डीमैट			
एनएसडीएल	2,99,080	90,05,79,727	13.18
सीडीएसएल	4,01,711	591,84,98,494	87.31
कुल	7,83,551	683,47,47,466	100.00


नोट: बैंक के प्रोमोटोर की पूरी शेयरधारिता डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में उपलब्ध है।


इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायगत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है। शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है।

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2022-23 के दौरान 1796 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 4,07,085 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है।

9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)
अप्रैल, 2022	44.8	37.85	249.14	44.85	37.8	1,969.83	60845.1	56009.07
मई, 2022	39.1	33.55	189.62	39	33.5	1,776.24	57184.21	52632.48
जून, 2022	39.9	34.1	136.85	40	34.1	1,484.42	56432.65	50921.22
जुलाई, 2022	38.8	34	112.27	38.8	34	1,116.11	57619.27	52094.25
अगस्त, 2022	43.7	38.05	159.35	43.7	38	1,672.64	60411.2	57367.47
सितंबर, 2022	48.45	41.75	246.10	48.45	41.8	2,361.02	60676.12	56147.23
अक्टूबर, 2022	54.7	42.6	256.67	54.7	42.6	2,290.17	60786.7	56683.4
नवंबर, 2022	83.7	51.3	604.28	83.7	51.2	7,351.18	63303.01	60425.47
दिसंबर, 2022	96.4	66.75	775.58	96.4	66.7	9,160.44	63583.07	59754.1
जनवरी, 2023	83.85	72.15	378.79	83.8	72.25	3,609.20	61343.96	58699.2
फरवरी, 2023	79.7	65.35	219.21	79.7	65.35	1,863.51	61682.25	58795.97
मार्च, 2023	75.6	60.32	320.73	75.6	60.35	2,699.07	60498.48	57084.91
31.03.2023 को अंतिम मूल्य	65.37			66.55			-	
बाजार पूंजीकरण	₹44,678 करोड़			₹ 45,485 करोड़			-	





9.10 शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	यथा 31.03.2023				यथा 31.03.2022			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500तक	665546	84.94	74079944	1.08	642618	82.42	76427698	1.12
501से1000	52924	6.75	40433982	0.59	58277	7.47	45172534	0.66
1001से2000	26956	3.44	40668815	0.60	30157	3.87	45971773	0.67
2001से3000	15910	2.03	40039611	0.59	20276	2.60	51007654	0.75
3001से4000	7608	0.97	26522967	0.39	9745	1.25	34019956	0.50
4001से5000	4329	0.55	20258665	0.30	5544	0.71	26009371	0.38
5001से10000	6522	0.83	46280143	0.68	8289	1.06	59067045	0.86
10001सेअधिक	3756	0.48	6546463339	95.78	4793	0.62	6497071435	95.06
कुल	783551	100	6834747466	100	779699	100.00	6834747466	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है.

9.11 शेरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को बैंक की शेरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:

शेरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2023		यथा 31.03.2022	
	शेरधारकों की संख्या	कुल का %	शेरधारकों की संख्या	कुल का %
प्रोमोटर				
भारत सरकार	5,70,66,60,850	83.49	5,70,66,60,850	83.49
पब्लिक				
निवेशक संस्था				
म्यूचुअल फंड & यूटीआई	155330626	2.27	6,42,39,168	0.94
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/राज्य सरकार संस्थान)	410675574	6.01	4178,25,501	6.11
एफआईआई विदेशी म्यूचुअल फंड	8,07,63,510	1.18	8,07,63,510	1.18
अन्य				
निजी कॉर्पोरेट निकाय	24023255	0.35	4,89,41,688	0.72
भारतीय जनता	416682742	6.1	50,84,00,256	7.44
एनआरआई/ओसीबी/योग्य विदेशी निवेशक	7470165	0.11	79,16,493	0.12
कुल	6834747466	100.00	6,43,47,47,466	100.00

9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेरधारकों की सूची :

31.03.2023 को शीर्ष 10 शेरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयर	पूंजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति	5706660850	83.495
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	385692691	5.643
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्युनिटीज फंड	70861014	1.037
4	क्वांट म्यूचुअल फंड-क्वांट एक्टिव फंड	44537000	0.652
5	निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक बीईईएस	16797434	0.246
6	वैनगार्ड इमेजिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की सीरीज	15442120	0.226
7	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	14900616	0.218
8	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ	11752304	0.172
9	बीएनपी पारिबास आर्बिट्रेज - ओडीआई	10605382	0.155
10	रेखा राकेश झुनझुनवाला	8400000	0.123

9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

क्र. सं.	संबंधित लाभांश खाते	अदत्त लाभांश बैंक खाता सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश का दर	आईईपीएफ को अंतरण की प्रस्तावित तारीख	यथा 31.03.2022 को शेष (₹)
1.	यूबीआई	317901090049775	2015-16	₹1.95 प्रति शेयर	08-08-23	1,02,50,036.15
2.	पूर्व-आंध्रा बैंक	117911100001802	2015-16	₹0.50 प्रति शेयर	31-08-23	57,60,465.42
3.	यूबीआई	066221090000005	2021-22	₹1.95 प्रति शेयर	11-08-29	3,61,25,128.59
	कुल					5,21,35,630.16

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें। इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है।

9.14 अदावाकृत शेयर :

क) भौतिक रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आर्बिट्रि शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2022 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2023 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ख) डीमैट रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च, 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आर्बिट्रि शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण (यूबीआई-एफ़पीओ)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2022 को शेष	216	26,414
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	0	0
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	0	0
31.03.2023 को डीमैट उचंत खाते में शेष	216	26,414

विवरण (पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2022 को शेष	175	17,431
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	7	4,342
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	7	4,342
31.03.2023 को डीमैट उचंत खाते में शेष	168	13,089

ऊपर बताए गए सभी शेरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
1.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है.	अनुपालन किया गया.
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	बैंक के आरटीए/बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्धवार्षिक सूचना भेजा जाता है.
3.	लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही.
4.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(श्रीनिवासन वरदराजन)
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.06.2023

आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06.06.2023

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम'), समय - समय पर यथा संशोधित, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 15(2) के अनुसार, वर्ष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के लिए की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शित अभिमत के अनुसार की गई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उर्पयुक्त सूचीबद्ध विनियमनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा की 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लागू है।

आगे हमारा अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के क्रियाकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेखित अनुसार यह प्रमाणपत्र उचित आश्वासन के साथ जारी किया गया है।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002785S

कृते मेसर्स सारडा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीरामनी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 23023933BGVFB8763

सीए निरंजन जोशी
भागीदार
सदस्य सं. 102789
यूडीआईएन: 23102789BGWREB5291

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 23109127BGQVHR6655

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 02803C

कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सी रुची अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 504134
यूडीआईएन: 23504134BGWTPP4106

सीए अभिषेक शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 079224
यूडीआईएन: 23079224BGTKQ02274

सीए प्रदीप जे. शेटी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 23046940BGPPTS7892

स्थान : मुंबई

दिनांक: 6 मई, 2023

फॉर्म न. एमआर-3 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

01-04-2022 से 31-03-2023 की अवधि के लिए

[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित सेबी (लोडर) के विनियमनों, 2015 के नियमन 24 ए के संबंध में]

प्रति,
सदस्य,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जिसे यहाँ के बाद से "बैंक" कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि हमें कॉर्पोरेट संहिता/साविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार हमने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लेखा परीक्षण की अवधि के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फ़ाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है:

- i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970;
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रबंधन) की योजना, 1970;
- iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
- iv. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945 और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश.
- v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैटक) विनियमन, 1998;
- vi. डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;
- vii. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारिय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;
- viii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश):-
 - ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;
 - बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियमन, 2015 ;
 - सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;
 - एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - जी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शैक्षणिक निधि) विनियमन, 2009;
 - आई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993
 - जे. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरीज़ एवं सहभागी) विनियमन, 2018;

हमने बैंक के अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु बैंक द्वारा बनाई गई प्रणालियों एवं तंत्र के लिए बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- ए) भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक. (लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शामिल नहीं है)
- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ["सूचीयन विनियम"] समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतया अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई है, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को प्राप्त किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित विशिष्ट घटनाओं या कार्रवाइयों का पालन किया था जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर प्रभाव डाल सकता है:

1. बैंक के कार्यापालक निदेशक के रूप में श्री मानस रंजन बिस्वाल की अधिवर्षिता.
2. कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में श्री मंगेश मांडेकर की सेवा समाप्ति और एस. के. दास का बैंक के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नामांकन.
3. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री राजकिरण रै जी की अधिवर्षिता.
4. बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सुश्री ए मणिमेखलै की नियुक्ति.
5. ₹ 1983 करोड़ के अप्रतिभूत, अधीनस्थ, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय, शाश्वत, पूर्णतः भुगतान किए गए बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर-1 बांड ("बॉण्ड") का निर्गम और आबंटन.
6. श्री बी.एस. वेंकटेश, बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की सेवा समाप्ति और बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में श्री ओमप्रकाश एस करवा की नियुक्ति.
7. श्री श्रीनिवासन वरदराजन की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति.
8. बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन की नियुक्ति.
9. टियर-2 पूंजी ("बॉण्ड") में शामिल करने के लिए पात्र डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूत, अधीनस्थ, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्णतः भुगतान किए गए बासेल III अनुपालन टियर -2 बॉण्ड का 2200 करोड़ रुपए का निर्गम और आबंटन.
10. पहले के आरटीए डाटामेटिक्स बिजनेस सॉल्यूशन्स लिमिटेड के स्थान पर केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की बैंक के निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति.

कृते रागिनी चोकसी एवं कं.
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.05.2023

उमाशंकर हेगडे
भागीदार

एम.सं: A22133 #सीपी सं: 11161
यूडीआईएन: - A022133E000416648
आईसीएसआई यूनीक कोड: P1988MH05 6900
पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.-659/2020

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो परिशिष्ट 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है.

परिशिष्ट 'ए'

प्रति,

सदस्य,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त है.
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है. परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं. हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करती है.
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है.
4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमनों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में हमने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमनों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था.
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

कृते रागिनी चोकसी एवं कं.

कंपनी सचिव

फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

स्थान: मुंबई

दिनांक: 30.05.2023

उमाशंकर हेगडे

भागीदार

एम.सं: A22133 #सीपी सं: 11161

यूडीआईएन: - A022133E000285660

आईसीएसआई यूनीक कोड: P1988MH05 6900

पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.-659/2020

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन, 2015 के विनियमन 24 ए के अंतर्गत]

हमने परीक्षण किया है :

- ए) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("सूचीबद्ध संस्था") द्वारा सभी दस्तावेज एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराये गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,
- बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में फाइल/प्रस्तुत किए गए हैं,
- सी) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट,
- डी) अन्य कोई दस्तावेज/फाइल, जो भी संबंधित है, जिनका इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए विश्वास किया गया है.

31 मार्च, 2023 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन के संबंध में निम्न के प्रावधानों के साथ :

- ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं विनियमन, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र, दिशानिर्देश; एवं
- बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में शामिल हैं:-

- ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;
- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;
- सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;
- डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**
- ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटि) विनियम, 2021 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**
- एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया लेनदेन का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार;
- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं सहभागी) विनियम, 2018;
- आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटि शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2021; **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)**
- जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शैक्षणिक निधि) विनियम, 2009; और इनके तहत जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं;

हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं, कि समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध संस्था की अनुपालन स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन
1	<p>सचिवीय मानक:</p> <p>बैंक का अनुपालन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार है एवं यह अनिवार्य रूप से लागू है.</p>	लागू नहीं	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक संबंधित बैंक है कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं.
2	<p>नीतियों को अपनाना एवं यथासमय अद्यतन करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनाया जाता है. सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं एवं सेबी द्वारा जारी विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है तथा इन्हें यथासमय अद्यतित किया गया है. 	हाँ	कोई नहीं
3	<p>वेबसाइट पर रखरखाव एवं प्रकटीकरण:</p> <ul style="list-style-type: none"> सूचीबद्ध संस्था एक कार्यात्मक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है. वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के तहत दस्तावेजों/सूचना का यथासमय प्रसार विनियम 27(2) के तहत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिक सटीक एवं विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज (जों)/अनुभाग को पुनः निर्देशित करते हैं. 	हाँ	कोई नहीं
4	<p>निदेशक की निरर्हता:</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत बैंक का कोई भी निदेशक निरर्हित नहीं है.</p>	हाँ	कोई नहीं
5	<p>सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों की जो जांच की गई है, उसके विवरणों को जांचना:</p> <p>(ए) सामग्री सहायक कंपनियों की पहचान</p> <p>(बी) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों की अपेक्षाओं का प्रकटीकरण.</p>	लागू नहीं	(ए) किसी भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की पहचान नहीं की गई है. (बी) अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण की जांच की गई एवं इन्हें सही पाया गया.

क्र.सं	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हाँ/नहीं / लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा टिप्पणी/कथन
6	दस्तावेजों का संरक्षण: सूचीबद्ध संस्था सेबी विनियमों के तहत निर्धारित अभिलेखों को संरक्षित कर रही है एवं उसका रखरखाव कर रही है एवं सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के तहत निर्धारित दस्तावेजों के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार अभिलेखों का निपटान कर रही है.	हाँ	कोई नहीं
7	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन: सूचीबद्ध संस्था ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में/ सेबी विनियमों में निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है.	हाँ	कोई नहीं
8	संबंधित पार्टी लेनदेन: (ए) सूचीबद्ध संस्था ने सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हेतु लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है. (बी) सूचीबद्ध संस्था ने पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान किए हैं कि, यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या लेनदेन लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित/ अनुसमर्थित/ अस्वीकृत कर दिया गया है.	हाँ लागू नहीं	इस अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है
9	घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: सूचीबद्ध संस्था ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III सहित विनियम 30 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किए गए हैं.	हाँ	कोई नहीं
10	भेदिया ट्रेडिंग का निषेध: सूचीबद्ध संस्था विनियम 3(5) एवं 3(6) सेबी (भेदिया ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में है.	हाँ	कोई नहीं
11	सेबी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो: सेबी विनियमों और इसपर जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत को शामिल करते हुए) सूचीबद्ध संस्था/ इसके प्रमोटर्स/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.	लागू नहीं	इस अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा पाया गया है
12	अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो: सभी सेबी विनियमन/ परिपत्र/ मार्गदर्शन नोट आदि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई अतिरिक्त गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है.

सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं एवं उनकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से वैधानिक लेखा-परीक्षकों के इस्तीफे से संबंधित अनुपालन:

क्र.सं:	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हां/ नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस के द्वारा टिप्पणी / कथन
1	लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन		
	i. यदि लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर इस्तीफा दिया है, तो लेखापरीक्षक ऐसे इस्तीफे से पहले, ऐसी तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है, या	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	ii. यदि लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के बाद इस्तीफा दिया है, तो ऐसे इस्तीफे से पहले लेखापरीक्षक ने ऐसी तिमाही के साथ-साथ अगली तिमाही के लिए भी सीमित समीक्षा / लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	iii. यदि लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए सीमित समीक्षा/ लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो लेखापरीक्षक ने ऐसे इस्तीफे से पहले, ऐसे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए सीमित समीक्षा/ लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और साथ ही इसके लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी जारी की है.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
2	सांविधिक लेखापरीक्षक के इस्तीफे से संबंधित अन्य शर्तें		
	i. लेखापरीक्षा समिति को सूचीबद्ध संस्था/इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए मुद्दों को रिपोर्ट करना:		
	ए सूचीबद्ध संस्था/महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में जैसे सूचना की अनुपलब्धता/प्रबंधन द्वारा असहयोग जिसने लेखापरीक्षा प्रक्रिया को बाधित किया है, लेखापरीक्षक ने सूचीबद्ध संस्था की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया है और लेखापरीक्षा समिति ऐसे मुद्दों को सीधे एवं तत्काल, विशेष रूप से त्रैमासिक लेखापरीक्षा समिति की बैठक की प्रतीक्षा किए बिना प्राप्त करेंगे.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
	बी यदि लेखापरीक्षक इस्तीफा देने का प्रस्ताव करता है, तो प्रस्तावित इस्तीफे के संबंध में सभी मुद्दे, महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित लेखापरीक्षा समिति के ध्यानार्थ लाए गए हैं. ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित इस्तीफा कंपनी से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण है, लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा समिति को मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण के विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान नहीं किए जाने के बारे में सूचित किया है, जैसा लागू हो.		

क्र.सं:	विवरण	अनुपालन की स्थिति (हां/ नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस के द्वारा टिप्पणी / कथन
	<p>सी लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल द्वारा जैसा भी मामला हो, इस्तीफा देने के प्रस्ताव के संबंध में लेखा परीक्षक से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, जैसा ऊपर उल्लेख किया है, मामले पर विचार-विमर्श किया जाएगा और प्रबंधन एवं लेखा परीक्षक को उनके विचार संप्रेषित किए जाएंगे.</p> <p>ii. जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकरण:</p> <p>लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक उपयुक्त अस्वीकरण प्रदान किया है, जो कि आईसीएआई/ एनएफआरए द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार है, जहां सूचीबद्ध संस्था/इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी ने लेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है.</p>	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं
3	सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 में अनुबंध-ए में निर्दिष्ट प्रारूप में सूचीबद्ध संस्था/इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी ने इस्तीफे पर लेखा परीक्षक से जानकारी प्राप्त की है.	लागू नहीं	समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

बैंक ने 18 अक्टूबर, 2019 के सेबी सं सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/114/2019 में उल्लिखित बिंदु 6(ए) और 6(बी) का अनुपालन किया है और सांविधिक लेखापरीक्षकों को इससे संबंधित जारी नियुक्ति पत्र / पूरक पत्र में सभी नियमों और शर्तों को शामिल किया है.

सूचीबद्ध संस्था ने नीचे निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:-

- शून्य -

विगत रिपोर्टों में पायी गयी टिप्पणियों के अनुपालन में सूचीबद्ध संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :

क्र. सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विशेष धारण सहित विषय/परिपत्र/दिशानिर्देश)	विचलन	विकास द्वारा कार्रवाई की गयी	कार्रवाई का प्रकार	उल्लेखन का ब्यौरा	दंड की राशि	पेपरवर कंपनी सचिव की द्वारा किए गये अवलोकन / टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब	टिप्पणी
1	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 17(सी) तथा सूचीबद्ध इकाई के पास कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, बोर्ड के निदेशकों की संख्या के अनुसार बोर्ड में कम-से-कम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, बोर्ड के निदेशकों की संख्या के अनुसार बोर्ड में कम-से-कम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए	विनियम 17(सी)	-	-	-	यद्यपि स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रवधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं हुए हैं और पीएसबी को स्थापित करने वाला अधिनियम स्वतंत्र निदेशकों को परिभाषित नहीं करता है तब मंत्रालय की फाइनल संख्या 6/20/2019-बीओ) दिनांक 30.08.2019 ने यह स्पष्ट किया है कि बैंकिंग कंपनी (लाभकों का अधिष्ठाता एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के खंड (जी) के तहत नियुक्त किए गए गैर-आधिकारिक निदेशक और धारा 9(3) के खंड (एच) के तहत नियुक्त किए गए गैर-आधिकारिक निदेशक अधिकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक की प्रकृति के समान हैं इन सटीकरण को ध्यान में रखते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने उपरोक्त धारा के खंड (जी) (एच) और (आई) के तहत नियुक्तों नामित निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में विचार किया है।	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (स्वतंत्र) को शामिल करके, सेबी एलओडीआर के अनुसार बैंक का बोर्ड अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों से बना है।	अनुपालन किया गया है।
2	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 19(1) निदेशक मंडल को दो-तिरफे स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन एवं वार्षिक समिति का गठन करना चाहिए।	बैंक के निदेशक मंडल में निर्धारित संख्या में गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण समिति में सरसों की कमी थी।	विनियम 19(1)	-	-	-	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बैंकिंग कंपनी (लाभकों के अधिष्ठाता एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक एवं धारा 9(3) (एच) के तहत तीन गैर-कार्यपालक निदेशक होने चाहिए, यद्यपि बोर्ड में अधिनियम की धारा 9(3) (जी) निदेशक शामिल हैं और न्यूनतम उचित संख्या के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक नहीं हैं, किन्तु, अधिनियम की धारा 9(3) (एच) और 9(3) (आई) के तहत समिति का गठन करने हेतु नामित दो निदेशक हैं, जिससे एलओडीआर के अंतर्गत समिति के गठन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, बैंक के बोर्ड द्वारा समिति के नामित निदेशकों में से एक को (प्रबंधन एवं निवेश प्रवधान) के खंड 1.ए के अनुसार फिर चुना जाते हैं।	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, एनआरसी में केवल गैर-कार्यकारी गवा है।	अनुपालन किया गया है।

व्याप्तियाँ और समीक्षा की धारणाएँ एवं सीमाएँ:

- लाभकानुओं का अनुपालन और प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सूचनाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।
- हमारी जिम्मेदारी प्रासंगिक दस्तावेज एवं जानकारी की हमारी परीक्षा के आधार पर प्रमाणित करना है, यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।
- हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- यह रिपोर्ट पूरी तरह सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24ए (2) के अनुसार अनुपालन के अभीष्ट उद्देश्य के लिए है और यह न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता का आश्वासन है या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी
कंपनी सचिव

उमाशंकर हेगाडे
(पार्टनर)

एम.नं: A22133,

सीपी नं: 11161

यूजीआईएन : A022133E000322730

दिनांक: 17.05.2023

स्थान: मुंबई

निवेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची अनुच्छेद सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक भवन, 239,

विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट,

मुंबई 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसार हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका केन्द्रीय कार्यालय यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में अवस्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन पोर्टल (www.mca.gov.in) पर (निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीनिवासन वरदराजन	00033882	07-11-2022
2.	ए. मणिमखलै	08411575	03-06-2022
3.	नितेश रंजन	08101030	10-03-2021
4.	रजनीश कर्नाटक	08912491	21-10-2021
5.	निधु सक्सेना	09691292	01-02-2022
6.	रामसुब्रमणियन एस	08747165	21-11-2022
7.	समीर शुक्ला	06435463	08-11-2021
8.	अरुण कुमार सिंह	09498086	26-04-2019
9.	सूरज श्रीवास्तव	09444372	21-12-2021
10.	लक्ष्मण एस उप्पर	02453845	21-03-2022
11.	जयदेव मद्गुला	03574167	28-06-2018
12.	प्रीति जय राव	03352049	29-07-2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकसी एवं कंपनी

कंपनी सचिव

फर्म पंजीकरण नंबर: 92897

उमाशंकर हेगडे

(पार्टनर)

दिनांक: 17.05.2023

स्थान: मुंबई

एम.नं: A22133 सीपी नं: 11161

यूडीआईएन : A022133E000319155

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रति,
निदेशक मंडल,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
मुंबई.

सेबी के विनियमन 17(8) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियमन, 2015 के तहत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार

(ए) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- 1) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;
- 2) ये विवरण सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनी एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

(बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियां, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

(डी) हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;
- 2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
- 3) उन्हें ज्ञात धोखाधड़ी के प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.


कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(प्रफुल्ल कुमार सामल)

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(ए. मणिमैखले)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई

दिनांक: 06.05.2023

5.16 वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल एवं अन्य समिति बैठकों में निदेशकों का व्यौरा तथा उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	निदेशक मंडल की समितियों के निदेशक एवं सदस्य													
			बोर्ड		एमसीसी		एससी		आईटीएससी		एससीएमएफ		डीपीसी		एसटीसी	
			अपस्थित*	उपस्थित	अपस्थित*	उपस्थित	अपस्थित*	उपस्थित	अपस्थित*	उपस्थित	अपस्थित*	उपस्थित	अपस्थित*	उपस्थित	अपस्थित*	उपस्थित
1	श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07.11.2022 से	एनईसी	7	6	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-
2	सुश्री ए. मणिलक्ष्मणै 03.06.2022 से	एमडी & सीईओ	14	14	20	20	3	4	4	4	4	4	3	3	6	4
3	श्री नितेश रंजन 10.03.2021 से	ईडी	17	17	23	18	4	4	3	2	5	5	1	1	-	-
4	श्री रजनीश कर्नाटक 21.10.2021 से	ईडी	17	16	23	22	-	4	3	2	5	4	-	-	-	-
5	श्री निधु सक्सेना 01.02.2022 से	ईडी	17	17	23	21	1	4	3	3	5	5	1	1	-	-
6	श्री रामसुब्रमणियन एस. 21.11.2022 से	ईडी	6	6	10	10	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
7	श्री समीर शंक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित 08.11.2021 से	एनईडी	17	10	-	-	11	8	4	2	-	5	4	4	2	6
8	श्री अरण कुमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित निदेशक 26.04.2019 से	एनईडी	17	17	23	23	11	10	-	-	-	-	-	-	6	6
9	श्री सूरज श्रीवास्तव 21.12.2021 से	आईडी/एनईडी	17	17	-	-	11	11	4	4	5	5	2	2	-	3
10	श्री लक्ष्मण एस. उपर 21.03.2022 से	आईडी/एनईडी	17	17	21	20	-	-	-	2	2	-	3	3	-	3
11	डॉ. जयदेव मद्रुगाला 28.06.2018 से	आईडी / एसडी	17	16	-	-	11	11	4	4	5	5	4	1	1	1
12	सुश्री प्रीति जय राव 29.07.2021 से	आईडी / एसडी	17	15	18	17	2	2	4	4	4	5	5	3	3	1
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31.03.2023 से पूर्व बैंक के निदेशक मंडल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की जानकारी निम्नानुसार है																
1	श्री राजकिरण रे. जी 01.07.2017 से 31.05.2022	एमडी & सीईओ	3	3	3	3	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-
2	श्री मानस रंजन बिस्वाल 01.03.2019 से 30.04.2022	ईडी	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या

** 20 प्रस्तावों को अलग-अलग समय अंतराल पर शेयर अंतरण समिति को परिपत्र संकल्प के रूप में परिचालित किया गया तथा इसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया.

- एमडी एवं सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- ईडी- कार्यपालक निदेशक
- एनईडी - गैर कार्यपालक निदेशक
- आईडी - स्वतंत्र निदेशक
- एसडी - शेयरधारक निदेशक
- एनईसी- गैर कार्यपालक अध्यक्ष

